

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 60/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामेश्वर पुत्र नारायण लाल जाति जाट निवासी देशवाल तहसील मेडता जिला नागौर		1केलकी पत्नी भंवरराम जाति जाट खुडखुडिया निवासी ग्राम देशवाल ग्राम पंचायत ओलादन पंचायत समिति मेडता। 2सचिव, ग्राम पंचायत ओलादन, पंचायत समिति मेडता।

उपस्थिति-

1. श्री रामकिशोर मुण्डेल, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भागीरथ चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994
निर्णय**

दिनांक 8.1.20

1- यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओलादन द्वारा प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 03.11.99 के द्वारा आबादी भूमि का विक्रयनामा दिनांक 17.12.99 को अप्रार्थी सं. 1 केलकी के पक्ष में जारी पट्टा सं. 3 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 09.10.15 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत ओलादन के पट्टा सं. 38, 3 व 4 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा न्यायालय हाजा के प्रकरण सं. 10/12 शोभाराम बनाम केलकी के फर्द अहकाम दिनांक 1.2.12 से 23.2.12 की फोटोप्रति, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेडता की आदेशिका की फोटोप्रति, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 146/15 दिनांक 9.10.15 की फोटोप्रति तथा नक्शा मौका हालात मौका की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड मंगाया गया। दौरान कार्यवाही अप्रार्थी केलकी की ओर से निगरानी खारिज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं निगरानी पर अंतिम बहस एक साथ ही सुनी गई।

2- उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि -

2(1)- ग्राम देशवाल की आबादी भूमि में एक भूमि विक्रय विलेख जरिये मिसल सं. 36 दिनांक 18.10.73 को पट्टा सं. 38 का चेतनराम पुत्र झूमरराम जाट निवासी देशवाल के नाम रकम दस रु. चालीस पैसा मात्र में जारी किया गया, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 520 वर्गगज स्टेण्डर्ड रहा तथा ग्राम पंचायत ओलादन के तत्कालीन सरपंच, सचिव के हस्ताक्षरों से विक्रय विलेख जारी किया, जो वैधानिक रूप से आज दिन तक अस्तित्व में रहा है। उक्त पट्टा जारी रहते हुए ग्राम पंचायत ओलादन के सरपंच शंकर, सचिव ग्राम पंचायत ओलादन के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 केलकी के नाम दिनांक 17.12.99 को भूमि विक्रयनामा पट्टा सं. 3 का संकल्प सं. 2 दिनांक 3.11.99 का जारी किया गया, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 172.33 वर्गगज स्टेण्डर्ड का जारी किया गया। जिसका पडोस पूर्व में रास्ता व निकाल, पश्चिम में भंवरराम खुडखुडिया का मकान, उत्तर में रास्ता गुवाडी का तथा दक्षिण में रास्ता गुवाडी का।

2(2)- ग्राम पंचायत ओलादन ने उक्त अप्रार्थी सं. 1 के विक्रयनामा भूमि के साथ ही अप्रार्थी सं. 1 केलकी के पति भंवरराम के नाम भूमि विक्रयनामा दिनांक 17.12.99 को पंचायत के संकल्प (प्रस्ताव) सं. 2 दिनांक 3.11.99 के द्वारा कुल भूमि क्षेत्रफल 516.66 वर्गगज स्टेण्डर्ड का जारी किया गया, जिसके पडोस पूर्व में केलकी खुडखुडिया का मकान, पश्चिम में दिवराज खुडखुडिया का मकान, उत्तर में रास्ता गुवाडी तथा दक्षिण में बालाराम खाती का मकान। अप्रार्थी सं. 1 केलकी तथा पट्टा सं. 4 का भंवरराम के नाम पट्टा की कीमत 200 रु. अक्षरों दो सौ रु. में बाजार दर से बेचकर रु. की रसीद सं. 59 दिनांक 17.12.99 की अप्रार्थी सं. 1 के नाम जारी की तथा रसीद सं. 60 दिनांक 17.12.99 की भंवरराम के नाम जारी की गई। उक्त भूमि पूर्व से जारी पट्टा सं. 38 मिसल सं. 36 तारीख दायरा दिनांक 18.10.73 की भूमि का ही जारी अप्रार्थी सं. 1 तथा भंवरराम के नाम जारी किया गया। जिसकी जानकारी निगरानी कर्ता को दिनांक 30.07.15 को होने पर वर्तमान सरपंच श्रीमती मंजू से एवं सचिव से नकले विक्रयनामा अप्रार्थी सं. 1 व भंवरराम के नाम की संपूर्ण मिसल की मांग की गई, तो सचिव ने केवलमात्र विक्रयनामा की नकल दी एवं बताया कि उक्त विक्रयनामा के मिसल पंचायत में नहीं है, न ही संकल्प सं. 2



(Signature)

Page 1 of 3

अपर कलक्टर, नागौर

दिनांक 3.11.99 का मौजूद है, जिससे नकले देना संभव नहीं है। निगरानीकर्ता को पट्टा की नकल वर्तमान सरपंच द्वारा दिनांक 30.07.15 को दिये जाने से उक्त विवादित पट्टे की जानकारी हुई तथा अन्य कोई रिकार्ड इन पट्टों के ग्राम पंचायत कार्यालय में नहीं है, जिससे नकले पेश नहीं की जा सकती तथा निगरानी की मियाद दिनांक 30.07.15 से शुमार की जाकर निगरानी को तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है।
2(3)-विक्रय विलेख बनाने का संकल्प व विक्रय विलेख जेर निगरानी विरुद्ध कानून व हालात मामला है, जो निरस्तनीय है।

2(4)- विवादित स्थल का पूर्व में पट्टा चेतनराम पुत्र झूमरराम जाट के नाम मिसल सं. 36 तारीख दायरा 18.10.73 पट्टा सं. 38 के होते हुए ग्राम पंचायत ओलादन ने ग्राम देशवाल की आबादी भूमि में अप्रार्थी सं. 1 केलकी के नाम विक्रयनामा पट्टा नं. 3 व संकल्प सं. 2 दिनांक 3.11.99 के द्वारा जारी किया तथा अप्रार्थी सं. 1 के पति भंवरराम के पट्टा नं. 4 विवादित भूमि का विक्रयनामा दिनांक 17.12.99 को संकल्प सं. 2 दिनांक 3.11.99 का जो जारी किया, वह पूर्व में पट्टा जारी होने से कूटरचित दस्तावेज व मिथ्या तथा बनावटी पट्टे अप्रार्थीगण के नाम जारी किये हैं और अप्रार्थीगण को नाजायज फायदा पहुंचाकर आबादी की भूमि हड़पने और रास्ते की भूमि को आवागमन में अवरुद्ध कर निगरानीकर्ता व आम जनता को महरूम रखने की नियत से विधि विरुद्ध जारी किया है, जो प्रथमतः शून्य व अवैध है, इसलिये जरिये निगरानी के अप्रार्थी सं. 1 के नाम जारी पट्टा निरस्तनीय है।

2(5)- विवादित स्थल का पट्टा ग्राम पंचायत ओलादन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें विवादित भूमि का बाजार दर से 200 रु. में जरिये रसीद सं. 59 दिनांक 17.12.99 को विक्रय करना बताया है, जिस पट्टे का रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार पंजीयन नहीं करवाने से भी यह पट्टा निरस्तनीय है।

2(6)- अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा विवादित स्थल का चेतनराम के नाम से पट्टा पूर्व में जारी होकर के उस पर विवादित स्थल पर पट्टा सं. 38 का भाग पर कब्जा संपूर्ण रूप से भी नहीं है, केवल मात्र 250 वर्गगज भूमि पर वर्तमान में कब्जा है और चेतनराम के सहमति से बतौर लाईसेन्सी के अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा है, जिस पर वह पट्टे के जरिये स्वामित्व अकेली प्राप्त करने की अकेली प्राप्त करने की अधिकारी भी नहीं है, जिससे भी अप्रार्थी का नाम का प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 3.11.99 का निरस्तनीय हैं। क्योंकि कब्जा चेतनराम का ही माना जायेगा और इन परिस्थितियों में पट्टा भी नहीं बनाया जा सकता। इसी के साथ में अप्रार्थी सं. 1 व उसके पति भंवरराम के न तो स्वामित्व था, न कब्जा माना जा सकता। जिससे संकल्प व विक्रय विलेख शून्य व निरस्तनीय है।

2(7)- विक्रय विलेख बनाने के लिये नियमानुसार अप्रार्थी सं. 1 को आवेदन करना चाहिये था एवं पत्रावली कायम होकर के मौका मुआयना के लिये पंच मुकर्रर करना भी पंचायत में कार्यवाही का आवश्यक भाग था एवं मौका रिपोर्ट आती एवं उसके बाद पंचायत यह निर्णय लेती कि यह विवादित भू भाग पट्टा बनाने के लिये योग्य है अथवा विधि विरुद्ध है, उसकी भी इस्तेहार उजरदारी होती है और कोई आपति नहीं होती है तो साक्ष्य प्रार्थी की ली जाकर उसके किसी अधिकार के बाबत में निर्णय लिया जाना होता है तथा बाद में फीस जमा करने पर पट्टा विक्रय विलेख जारी होकर पंजीयन विभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है, इन तमाम विधिक प्रक्रिया का किसी तरह से ग्राम पंचायत ओलादन ने पालना नहीं की, जिससे भी यह प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 3.11.99 ग्राम पंचायत ओलादन स्वतः ही शून्य एवं निरस्तनीय है।

2(8)- अप्रार्थी सं. 1 ने पूर्व से ही चेतनराम के नाम पट्टा होने की जानकारी थी और उस जानकारी के होते हुए भी आम जनता व निगरानीकर्ता तमाम को धोखे में रखकर ग्राम पंचायत से मिलकर पट्टा प्राप्त किया है तथा जायगा पर अप्रार्थी सं. 1 अकेले का ही कब्जा स्वामित्व है अथवा परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है, इस बाबत में भी जानकारी नहीं की तथा मौके पर अप्रार्थी सं. 1 का आज दिन भी कब्जा नहीं है, जिससे कब्जे के अभाव में भी पट्टा सं. 3 प्रस्ताव 2 दिनांक 3.11.99 ग्राम पंचायत ओलादन का निरस्तनीय है।


3- वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि

3(1)- प्रार्थी रामेश्वर ने उक्त निगरानी पेश की। लेकिन पट्टे में बतायी गयी जायगा प्रार्थी की नहीं है तथा न ही प्रार्थी पूर्व में गलत पट्टा जारी चेतनराम का वारिस है। जिससे प्रार्थी का इस पट्टे से कोई अहित नहीं है तथा न ही वो हितबद्ध पक्षकार है। अप्रार्थीया को फालतू तंग व परेशान करने की नियत से यह निगरानी पेश की गई है।

3(2)- अप्रार्थी के इसी पट्टे के संबंध में पूर्व में एक पंचायत निगरानी शोभाराम पुत्र चेतनराम ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। जो जरिये राजीनामा दिनांक 23.02.12 को जरिये विद्वावल खारिज हो चुकी है। अगर विवादित पट्टे के संबंध में पूर्व में कोई निगरानी प्रस्तुत होकर उसका न्यायालय हाजा द्वारा निस्तारण कर दिया जाता है तो उसी पट्टे को लेकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुबारा निगरानी पेश नहीं की जा सकती है। पूर्व निगरानी निस्तारण होने की प्रार्थी को शुरू से जानकारी होते हुए भी जानबूझकर पूर्व में प्रस्तुत व निर्णीत निगरानी का हवाला इस निगरानी में नहीं दिया गया है।

3(3)- अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे के विरुद्ध पूर्व में शोभाराम पुत्र चेतनराम ने वाद सं. 19/12 शोभाराम वनाम भंवरराम न्यायालय सिविल न्यायाधीश मेडता में प्रस्तुत किया। जिसमें शोभाराम ने विवादित जायगा शुरू से स्व. किस्तूरराम जी की व उसके बाद में उसके पुत्रो यानि अप्रार्थी केलकी बंटशुदा जायगा होना व अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 17.12.99 को जारी पट्टा सं. 3 को सही होना स्वीकार किया है। स्व. चेतनराम के नाम से पट्टा सं. 38




अपर कलेक्टर, नागौर

जारी हुआ व गलत है, इस जायगा पर अप्रार्थिया का कब्जा कभी नहीं रहा तथा न ही वर्तमान में है। उक्त शोभाराम ने सिविल वाद में अपना स्वामित्व व कब्जा नहीं मानते हुए जरिये विद्वावल खारिज करवा लिया। इससे भी अप्रार्थी व उसके परिवार का पुश्तेनी व कदीमी कब्जा होने से उनके हक में पट्टा सही बनना साबित है।

3(4)– प्रार्थी ने पूर्व में स्व. चेतनराम के नाम पट्टा जारी होने का हवाला देते हुए यह निगरानी निराधार पेश की है तथा इसमें प्रार्थी ने स्व. चेतनराम के किसी भी विधिक उत्तराधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया है एवं न ही स्व. चेतनराम के वारिसान को अप्रार्थी के पट्टे से कोई आपत्ति है।

3(5)– प्रार्थी को अप्रार्थी की आराजी जायगा होने की जानकारी शुरू से रहती चली आयी। अप्रार्थी ने सन् 2000 में पुराने मकान की जगह नया मकान भी निर्माण करवाया। जिसमें बेरोकटोक निरंतर निवासरत है। जिसकी जानकारी होते हुए भी 16 वर्ष बाद निगरानी पेश की गई, जो मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

3(6)– अप्रार्थी की पट्टासुद जायगा से प्रार्थी को कोई सरोकार नहीं है तथा न ही वो इस जायगा का पडोसी है। प्रार्थी का कोई हित प्रभावित नहीं हुआ है। प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में निगरानी पेश करने की इजाजत हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया है। जिससे प्रार्थी की कोई लोकस स्टेण्डर्ड नहीं है। जिससे निगरानी निरस्तनीय है।

3(7)– ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पंचायत राज अधिनियम की धारा 167(1) के तहत 200 रु. में पट्टा जारी किया, जो पुराने मकान का नियमितीकरण का है, विक्रय नहीं किया। अपने कथन के समर्थन में पंचायत राज अधिनियम 157(1)(ख) नजीर प्रस्तुत की। साथ में यह भी बताया कि पट्टा अपंजीकृत होने से साक्ष्य में अग्राह्य है। पट्टा सरकार द्वारा जारी किया गया है। जिसका रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17(2) के तहत पंजीयन आवश्यक नहीं है तथा अपने कथन के समर्थन में 2013(2) डीएनजे (राज) पेज 766 नजीर प्रस्तुत की गई है।

4– वकील प्रार्थी द्वारा वकील अप्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए बहस में पुनः हिस्सा लेते हुए बताया कि चेतनराम के पट्टे के रहते हुए इसी जगह का दूसरा पट्टा बाद में अप्रार्थी के नाम जारी किया गया है। जो गलत है। चेतनराम का पट्टा 520 वर्गगज का है जबकि अप्रार्थी केलकी को 172.33 वर्गगज व उसके पति भंवरराम के पक्ष में 516.66 वर्गगज कुल 688.99 वर्गगज का जारी हुआ है। जो मूल चेतनराम के पट्टे से 188.99 वर्गगज ज्यादा है। यह भूमि सार्वजनिक रास्ते की है तथा रास्ते की भूमि पर पट्टा देने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का पंजीयन होना आवश्यक है। मगर इन पट्टों का पंजीयन नहीं करवाये जाने से निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में 2015(2) आरएलडब्लू पेज 1431 एवं पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 (ख) नजीरे प्रस्तुत की गई।

5– पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 केलकी के पक्ष में पारित प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 3.11.99 के द्वारा पट्टा सं. 3 दिनांक 17.12.99 को जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि का पूर्व में पट्टा चेतनराम के नाम 520 वर्गगज का जारी होना बताया गया है। लेकिन उक्त प्रश्नगत पट्टे की जायगा में प्रार्थी का क्या हित है? न ही प्रार्थी चेतनराम का वारिस है? तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार है, स्पष्ट नहीं है। आराजी पट्टे को लेकर पूर्व में शोभाराम पुत्र चेतनराम ने निगरानी सं. 10/12 शोभाराम बनाम केलकी इसी न्यायालय में दिनांक 01.02.12 को प्रस्तुत की जो दिनांक 23.02.12 को जरिये राजीनामा विद्वावल हो चुकी है। इसके साथ ही शोभाराम पुत्र चेतनराम ने दीवानी वाद सं. 19/12 शोभाराम बनाम भंवरराम न्यायालय सिविल न्यायाधीश मेडता में प्रस्तुत किया। जिसमें वादी शोभाराम ने राजीनामा दिनांक 12.03.2012 के द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को सही माना तथा शोभाराम के पिता चेतनराम के नाम जारी पट्टा सं. 38 को गलत रूप से जारी होना तथा न ही उनका कोई कब्जा होना स्वीकार किया है। जिस पर दावा जरिये विद्वावल खारिज भी हो चुका है। निगरानीकर्ता रामेश्वर पुत्र नारायणलाल द्वारा दिनांक 12.12.15 को एक प्राथमिक रिपोर्ट अप्रार्थिया व अन्य के विरुद्ध इसी भूमि को लेकर दर्ज करवायी गयी थी। जिसमें पुलिस अनुसंधान में अप्रार्थी के मकान व कब्जा वर्षों पुराना माना गया है। जिसका फौजदारी मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन होना वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान बताया जिसका वकील प्रार्थी द्वारा कोई विरोध भी नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा निगरानी दिनांक 09.10.15 को पट्टा जारी होने की दिनांक 17.12.99 के 16 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बताया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली सं. 3/99-2000 केलकी पत्नी भंवरराम के अवलोकन से पट्टा जैर निगरानी जारी करने से पूर्व आपत्ति मांगने का सूचना पत्र जारी करना, वार्ड पंचों की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 18.9.99, गवाहों के बयान एवं पत्रावली कार्यवाही विवरण के अनुसार पट्टा जैर निगरानी विहित प्रक्रिया अपनाते हुए ही जारी किया जाना प्रतीत होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय दिनांक 18.10.99 के अनुसार पट्टा दिये जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होना भी अंकित हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव / पट्टा जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि प्रार्थी का स्वामित्व संबंधी कोई विवाद है तो सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें।

6– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

7– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मनोज कुमार)

अपर कलक्टर, नागौर